

**राजस्थान विधान सभा**

**अष्टम सत्र**

**कार्य-सूची**

**शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल, 2012**

**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

**2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव**

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा, जोधपुर शहर में वायु एवं जल प्रदूषण के कारण निरन्तर बढ़ते जा रहे रोगों से जनता को हो रही परेशानी के संबंध में पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा, प्रदेश के विद्यालयों में मिड डे मील के तहत बालकों को विभागीय मापदण्ड के अनुसार भोजन उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(III) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य, विधान सभा, मालियों की ढाणी, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर में हुए भीषण अग्निकांड प्रभावित परिवारों को समुचित आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

**3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

**वार्षिक लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन**

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, यातायात राज्यमंत्री, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2010-2011 एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे ।

जारी..2..

#### 4. विधायी कार्य

##### विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

##### (I) राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012

- राजस्थान विनियोग (संख्या-4)  
विधेयक, 2012  
(2012 का विधेयक संख्या-5)
- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-  
“वित्तीय वर्ष 2012-2013 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।”
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

##### (II) राजस्थान वित्त विधेयक, 2012

- राजस्थान वित्त विधेयक, 2012  
(2012 का विधेयक संख्या-4)
- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-  
"वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिये राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 और राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे )
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**(III) राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद विधेयक, 2012**

- राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद  
विधेयक, 2012  
(2012 का विधेयक संख्या-17)
- (I) श्री ऐमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां), प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-  
"राज्य में आयुर्वेद नर्सिंग परिषद के गठन, आयुर्वेद नर्सिंग वृत्ति के विनियमन और आयुर्वेद नर्सिंग विषयों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं की मान्यता के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**(IV) पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012**

- पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर  
विधेयक, 2012  
(2012 का विधेयक संख्या-18)
- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-  
"राजस्थान राज्य में पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
- (संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)
- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

प्रकाश चन्द्र पिछोलिया  
विशेषाधिकारी

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 19 अप्रैल, 2012